न्यायालय—बृजेश कुमार चंसौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनगर, जिला—छतरपुर (म.प्र.)

Filling No-RCT/1228/2022
CNR-MP_1609-001310-2022
RCT.No-833/2022
Date of Ragistration-29-10-2022

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बमीठा जिला छतरपुर (म.प्र.)

......................**अभियोजन**

बनाम

1. उमाशंकर तिवारी पिता शिवदयाल तिवारी आयु 53 साल निवासी टिकरी थाना बमीठा जिला छतरपुर म0प्र0

......................**अभियुक्त**

....

पुलिस थाना बमीठा तहसील राजनगर जिला छतरपुर के अपराध क. 340/2022 अपराध अंतर्गत धारा 34(1) म0प्र0 आबकारी अधिनियम से उद्भूत प्रकरण।

राज्य द्वारा — एडीपीओ।

आरोपी — उमाशंकर तिवारी स्वतः उपस्थित।

....

—::—निर्णय—::—

(आज दिनांक—29.10.2022 को पारित किया गया।)

01. अभियुक्त पर म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अभियुक्त दिनांक 28.09.2022 को समय करीब 19.50 बजे से 20:00 बजे के मध्य आरक्षी केन्द्र बमीठा स्थित गेस्ट

हाउस के आगे खजुराहो रोड बमीठा में 22 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन सफेद शराब कुल 3.960 लीटर शराब बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे पाया गया।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त के द्वारा अपराध किया जाना स्वीकार किया गया है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को दौरान भ्रमण मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि मझगुवा तिराहा मैन रोड बमीठा में एक व्यक्ति प्लास्टिक के थैला में अवैध शराब बिक्री करने के लिये खडा है जो मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु राहगीर साक्षी फूलचंद्र अग्निहोत्री को सूचना से अवगत कराकर साथ में लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचे तो देखा कि एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे दौड़कर पकड़ा गया नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम उमाशंकर तिवारी पिता शिवदयाल तिवारी आयु 53 साल निवासी टिकरी थाना बमीठा जिला छतरपुर म0प्र0 का होना बताया। जिसके हाथ में लिये थैला को चैक किया तो उसमें देशी प्लेन शराब के 22 क्वाटर शीलबंद हालत में रखे पाये गये। जिससे शराब रखने व बेचने के संबंध में लायसेंस पूछा तो न होना बताया। अवैध शराब पाये जाने से आरोपी से गवाहों के समक्ष शराब जप्त कर जप्तीपत्रक तैयार किया गया। आरोपी को धारा 41—1 जा0फौ0 को नोटिस न्यायालय पाबंद कर छोड़ा। थाना बमीठा के अपराध क्रमांक 340/2022 अंतर्गत धारा 34(1) म0प्र0 आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना स्वीकार किया गया है।

05. **::—:: न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि ::—::**

अ. क्या अभियुक्त दिनांक 28.09.2022 को समय करीब 19.50 बजे से 20:00 बजे के मध्य आरक्षी केन्द्र बमीठा स्थित गेस्ट हाउस के आगे खजुराहो रोड बमीठा में 22 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन सफेद शराब कुल 3.960 लीटर शराब बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे पाया गया ?

// विचारणीय प्रश्न क0 1 का विश्लेषण तथा निष्कर्ष //

06. अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां सरल भाषा में विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये

जाने पर उसके द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा पूर्वक की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा– 34(1)(क) के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है।

07. अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

08. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया। अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई सामग्री विद्यमान नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को धारा–34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध में न्यायालय उठने की अवधि तक के कारावास से एवं **2000/–** रूपये **(अंकन दो हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

09. प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति 22 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन सफेद शराब कुल 3.960 लीटर शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाये एवं अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जावे।

10. अभियुक्त के द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 दंप्रसं के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(बृजेश कुमार चंसौरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

BRAJESH KUMAR CHANSORIYA

Digitally signed by BRAJESH KUMAR CHANSORIYA
Date: 2022.11.01 16:15:21 +0530

(बृजेश कुमार चंसौरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)